न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, शैतान सिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या – 09/2019

वादीगण :–

1. राजुराम पुत्र सोहनलाल
2. शांतिलाल पुत्र सोहनलाल
3. श्यामलाल पुत्र सोहनलाल

सभी जातियान बिश्नोई, निवासीगण कोसाणा, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सोहनलाल पुत्र फगलुराम
2. रूगाराम पुत्र सोहनलाल

दोनो जातियान बिश्नोई निवासीगण कोसाणा, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री बाबुलाल बिश्नोई व श्री संजय दाधीच वादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 31.03.2021

वादीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि यह है कि ग्राम कोसाणा की सरहद में प्रतिवादी सं. 1 सोहनलाल पुत्र फगलुराम के खातेदारी में दर्ज खेत खसरानम्बर 472, 55, 303, 580, 581, 582, 793, 797 आई हुई है । इसी प्रकार यही सोहनलाल पीराराम के गौद होने से उनके नाम खेत खसरा नम्बर 236 व 473 आई हुई है इसी प्रकार ग्राम कोसाणा की सरहद में ही खसरा नम्बर 309 प्रतिवादी सं. 2 की खातेदारी में दर्ज सुदा है जिसको आगे के पदो में विवादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा । उक्त भूमि प्रतिवादीगण की निजी आय से खरीदसुदा नही है । खेत खसरा नम्बर 309 जो वर्तमान में प्रतिवादी सं. 2 की खातेदारी में दर्ज है, को संयुक्त परिवारी की आमदनी से मुल्तानराम से क्रय किया था परन्तु तत्समय वादीगण घर पर नही थे एवं बेचाननामा निष्पादन हेतु प्रतिवादी सं. 2 को भेजा गया जिन्होने अपने नाम से बेचाननामा पंजीबद्ध करवा लिया एवं अन्य खसरे जो प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी में दर्ज है वो भी प्रतिवादी सं. 1 के क्रय सुदा नही है उक्त भूमि पैतृक भूमि है जो प्रतिवादी सं. 1 को जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण प्राप्त हुई है । उक्त बंटवाड़े अनुसार सभी लोग अपने अपने हिस्से पर काबिज व काश्त है एवं राजस्व

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

भी जिन किन्ही खसरो का सिचिंत होने के नाते लगता है वह सम्बन्धित व्यक्ति ही जमा करवाता है । उक्त भूमि चूंकि सामलाती दर्ज है इसलिए मौके पर कही बार जिन खेत के एक से अधिक टुकड़े किये गये है उनमें सीमा को लेकर विवाद हो जाता है एवं कभी हिस्से को लेकर भी विवाद पैदा हो जाता है । जबकि वादीगण ऐसा कोई विवाद परिवार में नही रखना चाहते है इसलिए हस्तगत वाद अपनी खातेदारी में अपने हिस्से की भूमि को दर्ज करवाने हेतु एवं बंटवाड़ा करवाकर अलग से अपने नाम दर्ज करवाने के लिए प्रस्तुत कर रहे है जिससे कि परिवार में किसी प्रकार का विवाद पैदा न हों । वादीगण ने प्रतिवादीगण को भी कहीं बार आपसी हिस्से व बंट अनुसार, मौके पर काबिज अनुसार बंटवाड़ा कर तरमीम करवाने को कहा परन्तु टालमटोल करते रहे व वर्तमान में मना ही कर दी इसलिए यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है । वाद कारण वादीगण दिनांक 31.12.2018 को ग्राम कोसाण में उस वक्त पेदा हुआ जब प्रतिवादीगण ने पूर्व में किये गये बंटवाडे के अनुसार राजस्व रेकर्ड कायम करने से इन्कार कर दिया तब पैदा हुआ जो आज भी निरन्तर जारी है । इस्तदुआ वादीगण निम्न अनुसार है कि वाद वादी स्वीकार कर वाद पद सं. 3 में वर्णितानुसार बंट व हिस्से में आई हुई भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर को बंटवाडे अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें । बाद घोषणा खातेदारी एवं बंटवाड़ा के स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमायी जावे कि वादीगण के बंट व हिस्से में आई हुई भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे । खर्चा वाद वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे एवं अन्य अनुतोष जो वादीगण न्यायालय हाजा की राय में प्राप्त करने के अधिकारी हो वो भी फरमाया जावें ।

वादी के वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

गये। जिस पर अपनी उपस्थिति जरिये अधिवक्ता विजय प्रकाश ओझा दर्ज करवाई एवं अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादीगण ने वादी के कथनो का खण्डन नही कर वाद पत्र के पद संख्या 3 में वर्णिता सूचिका के अनुसार वाद पत्र को निर्णित करने में सहमति प्रस्तुत की तथा अधिवक्ता वादी द्वारा उक्त जवाबदावे के प्रस्तुत होने के बाद आदेश 12 नियम 6 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है । जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नही किया तथा दोनो ही पक्षो द्वारा दिनांक 31.03.2013 को राजीनामा प्रस्तुत कर दिया । प्रकरण में चूंकि प्रतिवादीगण की ओर से वाद पत्र के तथ्यो को अस्वीकार नही किया एवं इस्तदुआ मे वाद को वाद पत्र के पद सं. 3 में दर्शित सूची के अनुसार स्वीकार किये जाने का निवेदन किया इसलिए कोई तनकियात कायम नही की गई एवं पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 के जवाब हेतु मुकर्रर हुई । इसी दरम्यान राजीनामा भी प्रस्तुत कर दिया जिसको न्यायालय द्वारा तस्दीक कर दिया गया । राजीनामा प्रस्तुत हो जाने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वतः ही स्वीकार योग्य हो जाता था इसलिए न्यायालय के मतानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा को तस्दीक कर दिये जाने के बाद वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि वादी राजु खसरा नम्बर 473 में से 6 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 580, 581, व 582 में 7 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 303 व 303/1 को संयुक्त रूप से मिलाकर 6 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी व खसरा नम्बर 55 में से 15 बीघा 1 बिस्वा कुल भूमि 34 बीघा 19 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है । इसी प्रकार वादी शांन्तिलाल को खसरा नम्बर 236 के सम्पूर्ण रकबे 16 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 473 में से 6 बीघा 3 बिस्वा, खसरानम्बर 580, 581 व 582 का शामिल करते हुए 7 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 303 व 303/1 को शामिल करते हुए 6 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि यानि कुल 36 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है । इसी प्रकार वादी श्यामलाल को खसरा नम्बर 472 में से 5 बीघा 4 बिस्वा 10 बिस्वांसी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

भूमि खसरानम्बर 580, 581 व 582 को शामिल करते हुए 7 बीघा 1 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 303 व 303/1 को शामिल करते हुए 6 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 3 बीघा भूमि खसरा नम्बर 309 सम्पूर्ण रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, खसरानम्बर 796 सम्पूर्ण रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि यानि कुल 33 बीघा 16 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । इसी प्रकार प्रतिवादी रूगाराम को खसरा नम्बर 472 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि, खसरा नम्बर 580, 581, व 582 को एक साथ मिलाकर 7 बीघा 1 बिस्वा भूमि, खसरा नम्बर 303 व 301 को शामलाती मिलाकर 6 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि, खसरा नम्बर 793 सम्पूर्ण रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरानम्बर 797 रकबा सम्पूर्ण रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा कुल रकबा 35 बीघा 1 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 1 सोहनलाल का नाम राजस्व रेकर्ड से विलोपित किया जाता है । यहां यह भी स्पष्ट किया जाना न्यायोचित है कि चूंकि खसरा नम्बर 580 व 581 जो गैर मुमकिन बेरे है उनका खसरा नम्बर 582 के रकबे को मिलाकर वादीगण व प्रतिवादी रूगाराम को बहिस्सा बराबर–बराबर बंटवाड़े में रखा है इसलिए गैर मुमकिन बेरे व इसके साथ जोड़ी गयी भूमि खसरा नमबर 582 का विभाजन के तौर पर बहिस्सा 1/4–1/4 दर्ज किया जाना न्यायोचित है । तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो । तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर